दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग) सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, मार्च 11,2024

एफ.सं. E75744 दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन–'ओ' की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **30 (तीस) दिन** की अवधि के अंदर ऑनलाइन पोर्टल **citzservices.dda.org.in** के माध्यम से अथवा ई–मेल द्वारा **dmpd2021.public@dda.org.in** पर अथवा आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई–मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधनः

अवस्थिति	संकल्पनात्मक योजना के अनुसार क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	दिल्ली मुख्य योजना. 2021/जोन 'ओ' की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार मौजूदा भूमि उपयोग	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तन किया जाना है	सीमाएँ
जोन-'ओ' **प्लाट 1**	4000 वर्ग मीटर	मनोरंजनात्मक पी2 (जिला पार्क, कम्युनिटी पार्क)'	क्षेत्रीय विकास योजना– व्यावसायिक सी1 (एलएससी)	**उत्तर और पूर्वः** मनोरंजनात्मक **दक्षिणः** नदी मुहाना परियोजना **पश्चिमः** मनोरंजनात्मक/रिंग रोड
प्लाट 2	4000 वर्ग मीटर			**उत्तरः** नदी मुहाना परियोजना **दक्षिण और पूर्वः** मनोरंजनात्मक **पश्चिमः**मनोरंजनात्मक/रिंग रोड

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य–दिवसों में **उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002** में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निम्नलिखित लिंक अर्थात् **https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2023** और **https:citzservices.dda.org.in** पर भी उपलब्ध है।

एफ.सं. E75744

आयुक्त एवं सचिव